International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 02-06-2021, Accepted: 17-06-2021, Published: 03-07-2021
Volume 7, Issue 4, 2021, Page No. 05-10

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2020: एक विहंगावलोकन

डॉ सुभाष भिमराव दोंदे
सहयोगी प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान प्रभाग, कीर्ति महाविद्यालय, दादर (प.) मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत

सारांश
सरोगेसी उस दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति का एक विकल्प है, जो किसी कारण संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, या करना नहीं चाहते है। सरोगेसी में एक महिला गर्भ धारण करने और बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से गर्भवती होने के लिए सहमत होती है, किन्तु प्रसूति के बाद नवजात शिशु को वह करारनामे के तहत अनुबंधित पक्ष- 'अभिप्रेत (इच्छुक) माता-पिता' को दे देती है। सरोगेसी के दो मुख्य प्रकार -'गर्भकालीन' एवं 'पारंपरिक' सरोगेसी में मूलभूत फ़र्क़ स्त्री-बीज के स्त्रोत से संबंधित है। पारंपरिक सरोगेसी में, सरोगेट माँ के स्त्री-बीज का उपयोग किया जाता है, जिससे वह अपने बच्चे की 'जैविक' माँ बन जाती है। किन्तु गर्भकालीन सरोगेसी में, स्त्री-बीज किसी और महिला का होने की वजह से सरोगेट माँ का बच्चे से कोई जैविक संबंध नहीं होता है। भारत में अल्प मूल्य में उत्कृष्ट चिकित्सा एवं पुख्ता बुनियादी ढांचे के साथ, गरीब सरोगेट की उपलब्धता और उच्च अंतरराष्ट्रीय मांग की वजह से 'वाणिज्यिक' सरोगेसी एक परिपूर्ण उद्योग की भाँति विकसित हो गया था। किन्तु 2008 के सेरोगेसी से जुड़े 'बेबी मांजी यामादा' केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उत्तरप्रभाव के परिणाम-स्वरूप भारत सरकार को 'वाणिज्यिक' सरोगेसी की जगह 'परोपकारी' सरोगेसी कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा सरोगेसी के दौरान कई प्रकार के विवाद भी होते रहते थे- जैसे कभी-कभी सरोगेट माँ ममतावश अभिप्रेत माता-पिता को संतान देने से मना कर देती है, या दंपत्ति बच्चे के विकलांग, या गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण कस्टडी लेने से मना कर देते है। भारत का वाणिज्यिक सरोगेसी उद्योग, जो कभी सालाना $400 मिलियन का व्यवसाय था, अब सरोगेसी (विनियमन) विधेयक की वजह से बंद होने के कगार पर है। इस नए विधेयक के दिशा-निर्देशों के तहत सरोगेसी अब स्थानीय, परोपकारी और संबंधपरक बन गई है, यानी यह अब सिर्फ एक भारतीय विषमलिंगकामी जोड़े के लिए एक करीबी महिला रिश्तेदार द्वारा परोपकारी रूप याने बिना किसी मुआवजे से की जाती है। प्रस्तुत अनुसंधान लेख में सरोगेसी के अंतर्निहित एवं स्वाभाविक नैतिक दुविधाओं, कानूनी या संविधानिक खामियों और संभवित विवादों के विविध पहलुओं का सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2020 के परिपेक्ष्य में चिकित्सात्मक विवेचन है।

मूल शब्द: सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, वाणिज्यिक सरोगेसी, परोपकारी सरोगेसी, गर्भकालीन सरोगेसी, पारंपरिक सरोगेसी, सरोगेट माँ, बेबी मांजी यामादा केस

प्रस्तावना
सरोगेसी यह पिछले कुछ दशकों से चला आ रहा प्रजनन एक तरीका है, जिसके तहत एक महिला गर्भ धारण करने और बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से गर्भवती होने के लिए सहमत होती है किन्तु प्रसूति के बाद नवजात शिशु को वह अनुबंधित पक्ष को दे देती है। इसलिए 'सरोगेसी' ('स्थानापन्न मातृत्व' या 'किराये की कोख') उस दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति का का सबसे अच्छा विकल्प है, जो किसी कारण संतान उत्पन्न नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते है। इसमें किसी दूसरी महिला की कोंख को पारस्परिक सम्मति और करारनामे के तहत किराये पर लेकर बच्चा पैदा करने की क्रिया के लिए अनुबंधित किया जाता है। जब कोई महिला करारनामे के तहत अपने गर्भाशय में बच्चे को नौ मास पालती है और उसे जन्म देती है, तो वह महिला 'स्थानापन्न माता या सरोगेट माँ' कहलाती है। इस तरह सरोगेट माँ गर्भावधि वाहक के रूप में, भ्रूण के साथ प्रत्यारोपित होने के बाद गर्भावस्था को प्रसव तक ले जाती है। और जो माता पिता जन्म के बाद बच्चे को अपने साथ ले जाते है उन्हें 'अभिप्रेत (इच्छुक) माता-पिता' कहा जाता है। सरोगेसी के दो मुख्य प्रकार है- गर्भकालीन (gestational) एवं पारंपरिक (traditional) सरोगेसी और दोनों के बीच का मूलभूत फ़र्क़ सरल है- पारंपरिक सरोगेसी में, सरोगेट माँ के

स्त्री-बीज का उपयोग किया जाता है, जिससे वह अपने बच्चे की जैविक माँ बन जाती है; गर्भकालीन सरोगेसी में, सरोगेट का बच्चे से कोई जैविक संबंध नहीं होता है क्योंकि स्त्री-बीज किसी और महिला का होता है। सरोगेसी की जड़ें ईसा पूर्व की 18 वीं शताब्दी में हम्मुराबी की प्राचीन बॅबिलोनियन कानूनी संहिता (Babylonian legal code of Hammurabi) में खोजी जा सकती हैं, जिसने सरोगेसी की प्रथा को मान्यता दी थी और वास्तव में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे जिसमें पत्नी (इच्छुक माँ) और सरोगेट माँ- दोनों के संबंधित अधिकारों के साथ यह निर्दिष्ट किया गया था- कि इसकी अनुमति कब दी जाएगी। अपनी बेटी के लिए एक माँ द्वारा परोपकारी रूप में जो कार्य शुरू हुआ, जिसमें वह उसके भ्रूण का अपने गर्भाशय में आरोपण करने के लिए सहमत हुई, पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त बदलाव के साथ एक वाणिज्यिक गतिविधि का रूप उभरकर आया है- जिसे अधिक यथोचित रूप से 'किराये की कोख' कहा जा सकता है। 2000 के दशक से, भारत सरोगेसी के लिए शीर्ष अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में से एक बन गया है 2012 में, यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में 25,000 से अधिक बच्चे सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए थे, उनमें से आधे अंतरराष्ट्रीय माता-पिता के लिए थे। भारतीय सरोगेसी के खिलाफ विकसित मुख्य तर्क यह है कि यह भारतीय आबादी में सबसे गरीब और सबसे कम शिक्षित महिलाओं के लिए 'अस्तित्व की रणनीति' है। इस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से, केवल गरीब महिलाएं जिन्हें त्वरित धन की आवश्यकता होती है, वे इस धारणा के तहत सरोगेट बन जाती हैं कि- "कोई भी अन्य आर्थिक विकल्प होने पर सेक्स बेचने, या अपने गर्भ किराए पर लेने का विकल्प नहीं चुनेगा"। हालांकि, भारतीय सरोगेट्स की अत्यधिक गरीबी की इस परिकल्पना का शायद ही कभी क्षेत्रीय आंकड़ों के माध्यम से अनुभवजन्य वास्तविकता के साथ सामना किया गया हो। भारत सहित कई अन्य देशों में, अल्प मूल्य में उत्कृष्ट चिकित्सा एवं पुख्ता बुनियादी ढांचे के साथ, गरीब सरोगेट की उपलब्धता और उच्च अंतरराष्ट्रीय मांग की वजह से सरोगेसी एक परिपूर्ण उद्योग की भाँति विकसित हो गया है।

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक चिन्हक (मार्कर) है। हालाँकि, यह मुद्दा संवेदनशील है और इसे केवल क्षेत्र सर्वेक्षण में सरोगेट की स्थिति के पूरक आयामों शामिल किया गया था। अपनी जाति के बारे में जानकारी देने वाले 8 सरोगेट में से 5 सामाजिक रूप से सुविधा-संपन्न उच्च जातियों में से; 3 अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) और 1 मात्र सामाजिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति के थे। इस सीमित टिप्पणियों से पता चलता है कि सरोगेट माँ ज्यादातर उच्च जातियों या उसके बाद ओबीसी से आते हैं। सरोगेट की अपेक्षाकृत अनुकूल सामाजिक विशेषताएं सरोगेसी व्यवस्था में एक चुनिंदा प्रक्रिया से होती हैं। चिकित्सा डॉक्टरों के मानदंडों द्वारा गर्भावस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने खराब आवास, अस्वच्छता, कुपोषण की वजह से झोपड़ी-झुग्गियों, या सड़क पर रहने वाली महिलाओं के के साथ अनुबंध नही किया जाता। इसके अलावा, मेडिकल डॉक्टर कम से कम एक न्यूनतम सामाजिक और शैक्षिक पूंजी के साथ महिलाओं की भर्ती करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे पूरी सरोगेसी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझेंगे। सरोगेसी के दौरान कई प्रकार के विवाद भी होते रहते है- जैसे कभी-कभी सरोगेट माँ ममतावश 'अभिप्रेत' माता-पिता को संतान देने से मना कर देती है; या दंपत्ति शिशु के विकलांग, या गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण उसकी कस्टडी लेने से मना कर देते है, तो विवाद उत्पन्न हो जाता था। इनके निवारण के लिए अभी तक कोई स्पष्ट कानून न होने के कारण विवादों का निपटारा नहीं हो पाता था।

'वाणिज्यिक सरोगेसी' सरोगेसी का एक रूप है जिसमें सरोगेट माँ को गर्भावधि वाहक बनकर एक गर्भ को परिपक्वता तक ले जाने के लिए करारनामे के तहत एक अच्छी खासी राशि का भुगतान किया जाता है। मुआवजे की सरोगेसी में एक सरोगेट को मिलने वाली राशि व्यापक रूप से खर्च से ऊपर के लगभग कुछ भी नहीं से लेकर बीस लाख रुपयों या $ 30,000 अमेरिकी डॉलर्स से अधिक तक होती है। अमेरिका की तुलना में, जहां एक सरोगेट को कुल लागत का 50 प्रतिशत जितना अधिक भुगतान किया जाता है, भारत में, सरोगेट को लगभग 20 प्रतिशत (या उससे कम) प्राप्त होता है। भारत का व्यापारिक सरोगेसी उद्योग, जो कभी सालाना $ 400 मिलियन का व्यवसाय था, अब बंद होने के कगार पर हो सकता है। 2008 में भारतीय सरोगेट माँ के साथ अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) से एक जपानी दंपत्ति 'मांजी' नामक लड़की के इच्छुक माता-पिता बने। किन्तु दुर्भाग्यवश मांजी के जनम से पहले ही दम्पत्ति में तलाक हो गया और इच्छुक माँ ने बच्ची की कस्टडी लेने से इन्कार कर दिया। जहाँ इच्छित पिता 'मांजी' की कस्टडी चाहता था, किंतु भारतीय कानून के तहत एकल व्यक्ति के रूप में उसे गोद लेने की अनुमति नहीं थी। एकल पुरुषों को गोद लेने की कानूनी प्रावधान नही होने के कारण मांजी के पिता को उसके के लिए यात्रा दस्तावेज मिलने में कानूनी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ा। अंत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय

को हस्तक्षेप करना पड़ा और मांजी को अपनी पिता एवं दादी के साथ देश छोड़ने की अनुमति दी गई। 'बेबी मांजी यामादा' से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि इसने भारत सरकार को सरोगेसी को विनियमित करने वाला कानून बनाने के लिए प्रेरित किया।

परिकल्पना

सरोगेसी - वाणिज्यिक या परोपकारी अपनी अंतर्निहित एवं स्वाभाविक नैतिक दुविधाओं, कानूनी या संविधानिक खामियों और विवादों से लेस होने के कारण किसी एक प्रकार की सरोगेसी का पूर्णरूप से स्विकार या पूर्णरूप से प्रतिबंध यह हितग्राहियों के दृष्टिसे समस्या का शाश्वत समाधान नही है। सर्वसमावेशक सरोगेसी (विनियमन) विधेयक में 'माध्यम मार्ग' को अपनाकर वाणिज्यिक एवं परोपकारी सरोगेसी के सकारात्मक पहलुओं का सम्मिश्रण होना चाहिये।

क्रिया-विधि

प्रस्तुत लेख गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण के दायरे में असंरचित और गैर-संख्यात्मक डेटा पर निर्भर रहकर समस्या के सटीक स्वरूप को हल करने के लिए प्राथमिक एवं प्रकाशित साहित्य या डेटा का समीक्षात्मक अध्ययन है।

विचार विमर्श

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2020

भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक पारित किया, जो एक ऐसा कानून है जो पूरी तरह से वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाएगा और परोपकारी सरोगेसी को तेजी से सीमित करेगा। इस सरोगेसी (विनियमन) विधेयक ने नए दिशा-निर्देशों के तहत सरोगेसी अब स्थानीय, परोपकारी (altruistic) और संबंधपरक (relational) बन गई, यानी यह एक भारतीय विवाहित जोड़े के लिए एक करीबी महिला रिश्तेदार द्वारा सरोगेसी परोपकारी रूप से की जाती है। परोपकारी सरोगेसी एक ऐसी स्थिति है जहां सरोगेट को गर्भावस्था के लिए कोई वित्तीय इनाम नहीं मिलता है किन्तु आमतौर पर गर्भावस्था और जन्म से संबंधित चिकित्सा खर्च और सभी खर्चों का इच्छित (इंटेंडेड) माता-पिता द्वारा भुगतान किया जाता है।

वाणिज्यिक सरोगेसी एक अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा है, खासकर जब यह भारत जैसे विकासशील देशों में होता है और जब यह स्थानीय महिलाओं द्वारा अमीर अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यह वास्तव में लिंग, वर्ग और नस्ल की असमानताओं को और भी गहरा बनाकर, प्रजनन के स्तरीकरण में योगदान कर सकता है। किन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी ने हजारों निःसंतान जोड़ों का समर्थन किया, चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से राजस्व अर्जित किया, और सरोगेट्स के लिए आय का एक मूल्यवान स्रोत था। भारत सरकार विधेयक को 'शिशु बहिःस्रोतन (आउटसोर्सिंग)' की संभावित शोषणकारी प्रथा को कम करने के लिए एक प्रगतिशील उपाय के रूप में पेश कर रही है। इस नए कानून का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय शोषण से बचाना और सरोगेसी के माध्यम से महिलाओं के शोषण के अपमानजनक दृष्टिकोण से देश की छवि को संरक्षित करना है।

लेकिन एक कानूनी विकास और महिला अधिकारों के परिप्रेक्ष्य मे देखा जाये तो यह व्यापक प्रतिबंध कुछ अधिक प्रतिगामी रूप में दिखाता है जो अनिवार्य रूप से महिलाओं को हमारे अपने शरीर पर स्वायत्तता के अधिकार को छिन लेता है और इस प्रक्रिया में, हमारे बुनियादी नागरिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह कानून भारत में सरोगेसी उद्योग को विनियमित करने के एक दशक से अधिक चल रहे प्रयासों की परिणति है। 2005 में, बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित मांग में उछाल के जवाब में, भारत सरकार ने अवैध क्लीनिकों को जड़ से उखाड़ फेंकने और सरोगेट्स के शोषण के उद्देश्य से नियामक दिशानिर्देशों को अपनाया। 2015 में, सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर पुर्ण रूपसे प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगा दिया। वर्षों के दौरान, सरोगेसी से जुड़ी प्रजनन तकनीकों, जैसे इन-विट्रो निषेचन (फर्टिलाइजेशन) और कृत्रिम वीर्यारोपण को विनियमित करने के लिए कानून प्रस्तावित किया गया है, लेकिन कभी पारित नहीं हुआ है।

भारतीय स्वास्थ्य मंत्री ने बिल को "समय की आवश्यकता" कहा है, एक मोटे अनुमान का हवाला देते हुए कि वर्तमान में देश में 2,000 से 3,000 अनियमित क्लीनिक संचालित हैं। हालांकि, विधेयक को पारित करने में, लोकसभा सदस्य भारतीय संसद के सदस्यों की एक लंबी परंपरा में शामिल हो जाते हैं, जो उन चीजों पर प्रतिबंध लगाते हैं जिन्हें वे संभवतः समझ नही सकते हैं। भारत में सरोगेसी उद्योग के वृध्दि या इससे जुड़े कथित कदाचार (माल-प्रक्टिस) का दस्तावेजीकरण करने वाला कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। और इस बात के बहुत कम संकेत हैं कि सांसदों ने इस बात पर विचारमंथन किया है- कि कानून

महिलाओं के स्वयं शरीर संबंधी स्वामित्व अधिकार को कैसे प्रभावित करेगा?

विधेयक के मुख्य प्रावधान

1. बिल वाणिज्यिक सरोगेसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है और केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि सरोगेट मां को बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज को छोड़कर, अपनी गर्भावस्था के लिए कोई वित्तीय मुआवजा और पुरस्कार नहीं मिलेगा। वाणिज्यिक सरोगेसी निषिद्ध होगी, जिसमें मानव भ्रूण और युग्मक की बिक्री और खरीद शामिल है।
2. सरोगेट माँ अभिप्रेत (इच्छुक) जोड़े का 'करीबी रिश्तेदार' होनी चाहिए। उसे अपना एक बच्चा पैदा करना होगा, और वह अपने जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट माँ बन सकती है। उसे भी सरोगेट माँ बनने के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्रमाण देने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. वर्तमान विधेयक 'बांझपन' की परिभाषा को भी हटा देता है जिसे पहले पांच साल के असुरक्षित संभोग के बाद गर्भ धारण करने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया गया था। चयन समिति का विचार था कि एक जोड़े के लिए बच्चे की प्रतीक्षा करने के लिए पांच साल बहुत लंबी अवधि है और इसे अनुचित और अधिनियम के उद्देश्यों के खिलाफ माना जाता है।
4. विधेयक भारतीय विवाहित विषमलिंगकामी दंपत्ति (पत्नी के लिए 23 से 50 वर्ष और पति के लिए 26 से 55 वर्ष के बीच) को सरोगेसी की अनुमति देता है और भारतीय मूल के विवाहित जोड़ों और 35 से 45 वर्ष की आयु वाली भारतीय एकल महिला (केवल विधवाओं और तलाकशुदा) को शामिल करने के लिए अनुप्रयोज्यता को बढ़ाता है।
5. गर्भावस्था के बाद भी चिकित्सीय जटिलताओं के उच्च जोखिमों का मुकाबला करने के लिए सरोगेट माताओं के लिए प्रस्तावित बीमा कवर को 16 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है।
6. सरोगेसी के साथ आगे बढ़ने से पहले दंपति के लिए 'अनिवार्यता' का प्रमाण पत्र और 'पात्रता' का प्रमाण पत्र (सिद्ध बांझपन) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह भी प्रदान करता है कि इच्छुक जोड़ों को किसी भी हालत में सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे का परित्याग नहीं करना चाहिए। नवजात शिशु उन सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो एक प्राकृतिक बच्चे के लिए उपलब्ध हैं और इस प्रक्रिया में कोई लिंग चयन नहीं किया जा सकता है।
7. यह बिल सरोगेसी क्लिनिकों को उचित प्राधिकारी के साथ पंजीकरण को अनिवार्य करके उनके कार्यपद्धति को भी नियंत्रित करता है।
8. बिल के तहत अपराधों में वाणिज्यिक सरोगेसी का विज्ञापन या व्यवसाय करना, सरोगेसी के लिए मानव भ्रूण को बेचना या आयात करना, सरोगेट मां या सरोगेट बच्चे का शोषण करना और बच्चे का परित्याग करना शामिल है। इस तरह के अपराधों के लिए दंड में 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद शामिल है।
9. विधेयक में राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड की स्थापना करके सरोगेसी को विनियमित करने का भी प्रस्ताव है, जिसका कार्य सरकार को नीतिगत मामलों पर सलाह देना और क्लीनिकों के कामकाज की निगरानी करना होगा।

विधेयक की अंतर्निहित खामियां

यह विधेयक सरोगेट महिला की शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। सरकार ने इस बात का कोई तर्कसिद्ध कारण विवरण नहीं दिया है कि अविवाहित और निःसंतान महिलाओं को सरोगेट क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। इस तरह के न्यायसंगति के अभाव में, किसी भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महिला का सरोगेसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का निर्णय उसका अकेले एवं स्वयं का होना चाहिए।

सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में और कई अन्य मौकों पर भारतीय अदालतों ने यह माना है कि प्रजनन विकल्प बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत (गारंटीकृत) 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के अंतर्गत आता है। महिलाओं के इन प्रजनन अधिकारों में भ्रूण को गर्भाशय में पालन-पोषण करना, नवजात शिशु को जन्म देने और उसको पालने का अधिकार शामिल है। इनमें गोपनीयता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि प्रजनन का अधिकार उसी अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। महिलाओं के प्रजनन विकल्पों को कम करने की राज्य की कार्रवाई इन मौलिक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है। सख्त आयु सीमा के भीतर विवाहित विषम-लैंगिक जोड़ों के लिए सरोगेसी विधेयक का प्रावधान भी तृतीय-पंथी (ट्रांसजेंडर) या एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों, वृद्ध जोड़ों और अविवाहित लोगों के साथ भेदभाव

करता है, जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं। विधेयक न केवल उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान किए गए 'समानता' के सिद्धांतों के भी खिलाफ है।

इसके अलावा, विधेयक में - सरोगेसी के लिए जोड़ों की योग्यता स्थापित करने के लिए उपयोग की जाती 'बांझपन' की परिभाषा- अत्यधिक संकीर्ण है। इसमें केवल उन जोड़ों को शामिल किया गया है जो असुरक्षित यौनक्रिया से गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं हैं। इसमें उन महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है जो उदाहरण के तौर पर गर्भाशय तंतुमयता (फाइब्रॉएड) जैसे चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में जो महिला गर्भ धारण करती है किंतु गर्भ को नौ महीने प्रसुति तक नही रोक सकती हैं। यह उन महिलाओं को भी शामिल नहीं करता है जो स्वेच्छा से बिना प्रसूति या प्रसव अनुभव के माँ बनने की इच्छा रखती हैं। विधेयक जैविक माता-पिता को गर्भावस्था को जारी रखने या समाप्त करने के लिए कहने का अधिकार नहीं देता है। यह न केवल उन महिलाओं का अपराधीकरण करता है; जो 'वाणिज्यिक' सरोगेट के रूप में काम करती हैं बल्कि उनके जीवनसाथी और रिश्तेदारों को भी अपराधी बनाता हैं; और एक कानूनी ढांचा जो सबूत के बोझ को उन पति या पत्नी और रिश्तेदारों पर स्थानांतरित कर देता है, जिससे द्वेष या दुर्भावनापूर्ण फौजदारी मुक़दमों में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि कुछ लोगों को सरोगेसी की प्रथा नैतिक रूप से घृणास्पद और अपरंपरागत लग सकती है, लेकिन एक अपरिहार्य तथ्य यह है- की भारत में कई महिलाओं के लिए- विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है, तो इसका प्रभाव इन महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा।

इसका मतलब यह नहीं है कि वाणिज्यिक सरोगेसी के अपने कदाचार नहीं हैं। सरोगेट को अक्सर कम भुगतान किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है या जबरन वसूली की जाती है, और उनके पास आमतौर पर कानूनी सुरक्षा और पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा की कमी होती है। कई महिलाएं स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी स्वस्थता या फिटनेस को ठीक से सत्यापित किए बिना सरोगेट बन जाती हैं। ये अनुचित ढंग से विनियमित उद्योग के कई उपोत्पादों में से कुछ हैं। हालांकि, वे सेरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुज्ञा नहीं देते हैं। यहां तक कि 2016 के सरोगेसी विनियमन विधेयक पर संसदीय स्थायी समिति ने भी सरोगेसी को केवल 'परोपकारी' या परहितवादी' मामलों तक सीमित रखने की कमियों को स्विकृत किया। बिल पर एक रिपोर्ट में, समिति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रस्तावित 'परोपकारी या परहितवादी' सरोगेसी मॉडल किसी भी वैज्ञानिक मानदंड की तुलना में नैतिक मान्यताओं पर अधिक आधारित है और यह कि सभी प्रकार के मूल्य निर्णयों को इसमें पैतृक या पितृसुलभ (paternalistic) तरीके से अंतःक्षेपण किया गया है। समिति ने परोपकारी सरोगेसी को मुआवजा देनेवाली सरोगेसी के साथ बदलने की सिफारिश की ताकि यह सूचित किया जा सके कि सरोगेट माताओं को उचित मुआवजे के रूप में मौद्रिक भुगतान की अनुमति दी जानी चाहिए। इन सिफारिशों को 2019 के सरोगेसी बिल में स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था, जो 2016 के प्रस्ताव से मूल भाषा को संरक्षित करता है।

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 एक प्रतिगामी कानून है जिसमे बुनियादी अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाले प्रावधान शामिल हैं। यदि देश के कानून के रूप में अधिनियमित किया जाता है, तो यह बुनियादी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता से रहित मनहूस भविष्य की ओर पहला कदम हो सकता है। अगर राज्यसभा इसके विरोध में वोट नहीं करती हैं, तो हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि कानून को न्यायपालिका के सामने रखा जाएगा और असंवैधानिक घोषित किया जाएगा।

कुछ नीतिगत पहलू जैसे आरोपण किये गए या गर्भपात किए गए भ्रूणों की संख्या को सरोगेट नहीं जानते हैं; जिस बच्चे को वे जन्म देते हैं, उसे देखने या मिलने की इच्छा नहीं रखते हैं; यहां तक कि इच्छुक माता-पिता की राष्ट्रीयता से भी वो अवगत नहीं होते हैं, और तो और उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श भी प्राप्त नहीं होता हैं- यह सब निस्संदेह शोषण के समान है। इन पहलुओं पर विचार करते हुए, सरकार द्वारा नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध से इन मुद्दों का समाधान नहीं निकलेगा।

उपसंहार

अधिकांश सरोगेट नवजात और इच्छुक माता-पिता को देखने में असमर्थता पर मनोवैज्ञानिक अतिक्लेश की भावना प्रदर्शित करते हैं, उन्हें सरोगेसी व्यवस्था के बाद 'बंद होने की भावना' विकसित करने से रोकते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि नई नीति सरोगेट को अपनी आवाज से लैस करे। सरोगेट अलग होने में आसानी महसूस करते हैं जब उन्हें पता होता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है। इसलिए कम से कम गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद इच्छुक माता-पिता और

सरोगेट के बीच स्वस्थ बातचीत एक 'सफल' सरोगेसी व्यवस्था के लिए आवश्यक है। सरोगेसी अपने सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक निहितार्थ में अत्यधिक जटिल है। एक आदर्श सरोगेसी व्यवस्था का कोई सर्वसम्मत समझौता नहीं है। दुनिया के किसी भी हिस्से में सरोगेसी की प्रथा, इसके दोनों- वाणिज्यिक और परोपकारी रूपों में कमियों के बिना नहीं है। जबकि दोनों प्रथाओं के लिए गहन विनियमन की आवश्यकता होती है, भारतीय संदर्भ में दुर्वह नियमों को लागू करने की व्यवहार्यता के लिए यथार्थवाद की एक स्वस्थ खुराक की आवश्यकता होती है। संपूर्ण प्रतिबंध या एक तरफा झुकाव वास्तविक आवश्यकता को संबोधित नहीं करता है और सरोगेसी बाजार को भूमिगत रूप से चला सकता है, जिससे यह सभी संबंधितों या हितग्राहियों के लिए बदतर हो जाता है। अंततः सरोगेसी से जुड़े विवादास्पद मुद्दों के नीतिगत व्यवधान से ढेर सारे प्रश्न खुलते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता होगी। अंततः सर्वसमावेशक सरोगेसी (विनियमन) विधेयक में 'माध्यम मार्ग' को अपनाकर वाणिज्यिक एवं परोपकारी सरोगेसी के सकारात्मक पहलुओं का सम्मिश्रण होना चाहिये।

संदर्भ सूची

1. अक्षया (नवंबर 16, 2014) सरोगेसी: हूज बेबी इस इट? लॉ ऑक्टोपस https://www.lawctopus.com/academike/surrogacy-whose-baby-is-it/
2. बेबी मांजी यामादा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 29 सप्टेंबर, 2008 इंडियन क़ानून https://indiankanoon.org/doc/854968/
3. कुमार शोनोत्रा (11th जुलाई 2019) इंडियाज प्रोपोज्ड कमर्शियल सरोगेसी बॅन इज एन असॉल्ट ऑन विमेन्स राइट्स अनडार्क https://undark.org/
4. लथ गोविंद हरि सरोगेसी (विनिमयन) बिल 2020: दि वे फॉरवर्ड आयप्लेडरर्स ब्लॉग
5. https://www.google.com/amp/s/blog.ipleaders.in/surrogacy-regulation-bill-2020-way-forward/amp/
6. लाम्बा निश्ता (2016) रिथिंकिग कमर्शियल वर्सस अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी इन इंडिया https://casi.sas.upenn.edu/iit/nishthalamba
7. रोज़ी वी., उनिसा एस., और रोचेब्रोचर्ड ई. (2019) सोशियो डेमोग्राफ़िक कॅरक्टेरिस्टिक्स ऑफ 96 इंडियन सरोगेट्स: आर दे डिसएडवॅनटेज्ड कंपेयर्ड विथ जनरल पॉपुलेशन? पीएलओएस वन खंड 14(3): e0214097. ऑनलाइन प्रकाशित 25 मार्च 2019. doi:10.1371/journal.pone.0214097
8. सुचिता श्रीवास्तव बनाम चढ़िगड प्रशासन 28 August, 2009 इंडियन कानून https://indiankanoon.org/doc/1500783/